न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 90/2019

1. डॉ. राहुल कट्टा पुत्र स्व. नन्दकुमार कट्टा, जाति महाजन, निवासी ई–4, शास्त्री नगर, जयपुर।
2. डॉ. मनीष कट्टा पुत्र स्व. नन्दकुमार कट्टा, जाति महाजन, निवासी ई–4, शास्त्री नगर, जयपुर।
3. श्रीमति शांति देवी कट्टा धर्मपत्नि स्व. नन्दकुमार कट्टा, जाति महाजन, निवासी ई–4, शास्त्री नगर, जयपुर।
4. डॉ. श्रीमति दीपा गुप्ता धर्मपत्नि डॉ. आशुतोष गुप्ता, पुत्री स्वर्गीय नन्दकुमार कट्टा जाति महाजन, निवासी डी–144, बसंत मार्ग, जयपुर।

— — — वादी

बनाम

1. भगवान दास चेला स्व. श्री चोखादास, जाति स्वामी, निवासी खसरा नम्बर 887, बस स्टेण्ड, ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. गिर्राज स्वामी पुत्र श्री भगवान दास, जाति स्वामी, निवासी ग्राम दौलतपुरा, हाल निवासी प्लॉट नंबर 202, शिवाजी नगर, शास्त्री नगर, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
3. घासीराम पुत्र श्री धन्नालाल **(मृतक)**

3/1. भंवरलाल जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

3/2. रामस्वरूप जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

4. प्रेम प्रकाश गंगवाल पुत्र नाथूराम गंगवाल, जाति खटीक, निवासी ग्प्रम दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

— — — प्रतिवादी

5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. भंवरलाल शर्मा पुत्र मंगल शर्मा, निवासी ग्राम चिराडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. बिदामी देवी धर्मपत्नी श्री गोविन्दराम जाति खटीक निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

— — — प्रोफार्मा प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 06.03.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि ख0नं0 886 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 893 रकबा 0.94 है0 कुल किता 2 रकबा 1.24 है0 में से ख0नं0 893 के प्रतिवादी सं0 1 स्वतंत्र खातेदार काश्तकार तथा ख0नं0 886 के 3472/3630 हिस्से के प्रतिवादी सं0 1 तथा खसरा नम्बर के शेष 58/3630 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी सं0 3 श्री घासीराम समस्त राजस्व भू–अभिलेखों में खातेदार काश्तकार अंकित थे।

वादीगण ने विवादित भूमि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण वाद पत्र में अंकित किया है। वाद पत्र के पेरा संख्या 6 के अनुसार वर्तमान ख0नं0 886 रकबा 0.2567 हैक्टे0, ख0नं0 893 रकबा 0.4811 हैक्टे0 एंव खसरा नम्बर 893/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.8378 हैक्टेयर भूमि में से अपने हकपूर्वाधिकारी स्व. श्री नन्दकुमार जी द्वारा क्रय की गयी 0.57 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी विरासत में अपने नाम अंकित करवाकर खसरा नम्बर 886 रकबा 0.2567 हैक्टे. में से 0.23 हैक्टेयर अर्थात 2300 वर्गमीटर भूमि तथा खसरा नम्बर 893 रकबा 0.4811 हैक्टेयर में से 0.34 हैक्टेयर अर्थात 3400 वर्गमीटर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5700 हैक्टेयर भूमि अर्थात 5700 वर्गमीटर भूमि का विधिवत् विभाजन करवाकर अपना स्वतन्त्र खाता एवं लगान कायम कर स्वयं को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार अंकित किये जाने हेतु उक्त वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर होने पर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये, प्रतिवादी सं0 03 का स्वर्गवास होने पर उनके वारिस भंवरलाल व रामस्वरूप उपस्थित हुये, प्रतिवादी सं0 04 की ओर से श्री राजेश गंगवाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 पेरोकार सरकार उपस्थित आये, प्रतिवादी सं0 7 व 8 स्वयं उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने दिनांक 03.06.2016 को जवाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 03 ने कोई जवाबदेही नहीं की गयी एवं प्रतिवादी सं0 04 ने विवादित भूमि को प्रतिवादी सं0 08 बिदामी देवी को बेचान करने पर पक्षकार नहीं बनाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.05.16 को पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

प्रतिवादी सं0 05 व 06 पैरोकार सरकार तथा प्रतिवादी सं0 06 व 07 उपस्थित है जिन्होनें कोई जवाब दावा पेश नहीं किया है।

दौराने वाद विवादित भूमि खसरा नम्बर 886 में से 0.0125 हैक्टे0 भूमि तथा खसरा नम्बर 893 में से 0.2011 हैक्टेयर भूमि गेर मुमकिन सडक के रूप में महकमा पी. डबल्यू. डी. के नाम अंकित हो जाने के कारण वाद अधीन भूमि खसरा नम्बर 1541/886 में 0.242 हैक्टेयर, 1547/893 में से 0.28 हैक्टेयर एवं 893/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि खातेदारो के नाम शेष बची रही।

दिनांक 24–10–2019 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य आपसी सहमति एवं रजामन्दी से राजीनामा होने के आधार पर दोनों पक्षो ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर न्यायालय के समक्ष राजीनामा मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर सभी सहखातेदारो द्वारा वाद अधीन भूमि को मौके पर वर्षो पूर्व विभाजित कर लेने तथा उक्त विभाजन के अनुसार ही वाद को राजीनामा एवं इसके साथ संलग्न नजरी नक्शेनुसार अंतिम डिक्री प्रसारित किये जाने का अनुरोध किया, प्रस्तुत राजीनामा एवं संलग्न नजरी नक्शे को स्वीकार व तस्दीक किया जाकर राजीनामें में अंकित तथ्यों तथा संलग्न नजरी नक्शें, व अन्य दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन करने पर राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा राजीनामा एवं नजरी नक्शा के अनुसार ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर में स्थित खसरा नम्बर 1541/886 में से 0.23 हैक्टेयर, 1547/893 में से 0.24 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 893/2 सम्पूर्ण रकबा 0.10 हैक्टेयर इस प्रकार उपरोक्त तीनो खसरा नम्बरो की कुल 0.5700 हैक्टेयर भूमि को वादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार एवं नजरी नक्शे में केसरिया रंग से दर्शाया गया भू–भाग खसरा नम्बर 1541/886 में से 0.0070 हैक्टेयर अर्थात मात्र 70 मीटर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार एवं नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया भू–भाग खसरा नम्बर 1541/886 में से 0.0048 हैक्टेयर अर्थात मात्र 48 मीटर भूमि प्रतिवादी संख्या 3/1 व 3/2 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार एवं नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया भू–भाग खसरा नम्बर 1541/886 में से 0.0024 हैक्टेयर अर्थात 24 मीटर भूमि प्रतिवादी संख्या 7 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार एवं नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया भू–भाग खसरा नम्बर 1547/893 में से 0.0400 हैक्टेयर अर्थात 400 मीटर भूमि प्रतिवादी संख्या 4 ने दौराने वाद बिदामी देवी धर्मपत्नी श्री गोविन्दराम को बेचान करने पर प्रतिवादी सं0 8 के

स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं0 05 तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग खाता व लगान कायम किया जाकर राजस्व भू–अभिलेखों में इन्द्राज कर वर्तमान राजस्व नक्शे में भी उचित अमल–दरामद करें। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.10.2019 एवं संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का जूज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक **06.03.2020** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त कटारा)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2020.08.24 15:40:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: